



जनपद हमीरपुर
थाना- चिकासी

दिनांक 01.07.2026

थाना चिकासी पुलिस द्वारा केस नं० 503/2005, अ०सं० 28/05, धारा- 279/338/304A IPC तथा केस नं० 1192/23, अ०सं० 19/23, धारा- 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धि 02 वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 01.07.2026 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी वारंट के अनुपालन में 02 वारंटी अभियुक्त 1.गोविन्द पुत्र रामसेवक लोधी 2. राजकुमार राजपूत पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम व थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों को क्रमशः केस संख्या 503/2005 (मु०अ०सं० 28/2005, धारा 279/338/304 ए भा०दं०सं०) तथा केस संख्या 1192/2023 (मु०अ०सं० 19/2023, धारा 60 आबकारी अधिनियम) से संबंधित प्रकरणों में विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार वारंटी का विवरण-

1. गोविन्द पुत्र रामसेवक लोधी
2. राजकुमार राजपूत पुत्र प्यारेलाल निवासीगण ग्राम व थाना चिकासी जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी का स्थान-

थाना चिकासी जनपद हमीरपुर।

पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ०नि० मोहित देव
- 2.का० पवन कुमार
- 3.रि०का० अजय
- 4.रि०का० राहुल

